कार्यालय नगर परिषद, मधेपुरा।

पत्रांक 93......./ ५५७

प्रेषक :–

कार्यपालक पदाधिकारी
नगर परिषद, मधेपुरा।

सेवा में,

वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी
महालेखाकार कार्यालय,
बिहार, पटना।

मधेपुरा, तिथि 30 जनवरी 2019

विषय :– नगर परिषद, मधेपुरा के अंकेक्षण प्रतिवेदन संख्या– 146/2008–2009 का अनुपालन प्रतिवेदन साक्ष्य सहित उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

प्रसंग :– नगर विकास विभाग के पत्रांक 1981, न0वि0 एवं आ0वि0 दिनांक 28.12.17

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रासांगिक पत्र के संदर्भ में सूचित करना है कि महालेखाकार (ले0प0) बिहार, स्थानीय लेखा परीक्षा शाखा से प्राप्त अंकेक्षण प्रतिवेदन संख्या– 146/2008–2009 के कंडिकावार अनुपालन प्रतिवेदन सशक्त स्थायी समिति की पारित प्रस्ताव सं0 ...03........ के साथ संलग्न कर भेजी जा रही है।

विश्वासभाजन

अनुलग्नक : यथोक्त। कुल 73 (तेहत्तर) पृष्ठ।

कार्यपालक पदाधिकारी
नगर परिषद, मधेपुरा।

ज्ञापांक...93....../न0 प0, मधेपुरा, तिथि 30/01/2019............/

प्रतिलिपि : विशेष सचिव नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना को अंकेक्षण अनुपालन प्रतिवेदन के साथ सादर सूचनार्थ प्रेषित।

कार्यपालक पदाधिकारी
नगर परिषद, मधेपुरा।

शुक्रवार
आज दिनांक- 30.11.2018 को दिन शुक्रवार के 1:00 बजे अपराह्न में श्रीमति सुधा देवी, माननीय मुख्य पार्षद, नगर परिषद, मधेपुरा की अध्यक्षता में सशक्त स्थाई समिति की बैठक आहुत किया गया जिसमें निम्नलिखित प्रस्ताव पारित किया गया।

उपस्थिति :-

1. श्रीमति सुधा देवी - मुख्य पार्षद - Sudha Kumari 30.11.18

2. श्री अशोक कुमार यादव - उपमुख्य पार्षद - Ashok Kumar Yadav. 30/11/2018

3. श्रीमति रतन देवी - पार्षद-सह-सदस्य - रतन देवी 30.11.18

4. श्रीमति रेखा देवी- पार्षद- सह -सदस्य- रेखा देवी 30-11-2018

5. श्री ध्यानी सुविदेव - पार्षद-सह-सदस्य - ध्यानी

प्रस्ताव सं0 - 01

गत बैठक की कार्यवाही को पढ़कर सुनाया गया जिसकी सम्पुष्टि सर्व सम्मति से किया गया।

प्रस्ताव सं0 - 02

बिहार नगरपालिका प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबन्धन उप-विधि - 2018 को नगर परिषद, मधेपुरा द्वारा अंगीकृत करने के संबंध में:-

बिहार नगरपालिका प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबन्धन उप-विधि-2018 को पढ़कर सभी माननीय सदस्यों को सुनाया गया। बिहार नगरपालिका अधिनियम - 2007 की धारा- 422 की उपधारा (क) (ख) एवं (ग) के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए इसे नगर परिषद, मधेपुरा द्वारा अंगीकृत करने का निर्णय सर्व सम्मति से ली गयी। इस उपविधि मॉडल को अब नगर परिषद, मधेपुरा प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबन्धन उपविधि - 2018 कही जायेगी

प्रस्ताव सं0 - 03

विशेष सचिव नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार पटना के पत्रांक 2020 दि0 - 04.09.2018 से प्राप्त अंकेक्षण प्रतिवेदन सं0-14(08-0

DATE

एवं 5 30/2014-15 का कंडिकावार तैयार अनुपालन प्रतिवेदन पर विचार विमर्श किया गया।

सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि तैयार दोनों अंकेक्षण प्रतिवेदन की स्वीकृति दी जाती है। अनुपालन प्रतिवेदन की प्रति महालेखाकार, बिहार, पटना एवं विशेष सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना को अविलम्ब भेजा जाय।

अतः अन्त में धन्यवाद के साथ आज के बैठक की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

Attested

Sudha Kumari
30.11.18
मुख्य पार्षद
नगर परिषद, गोपालपुर।

नगर कार्यपालक पदाधिकारी
नगर परिषद, गोपालपुर

कार्यालय नगर परिषद्, मधेपुरा।

नगर परिषद्, मधेपुरा का अंकेक्षण प्रतिवेदन संख्या– 146/2008–2009 का अनुपालन प्रतिवेदन

क्र0	कंडिका संख्या	अंकेक्षण प्रतिवेदन का कंडिकावार	अनुपालन	अभियुक्ति
01	10	सरकारी ग्रान्ट रजिस्टर में ग्रान्ट मेन्टेन का साक्ष्य प्रस्तुत कराया जाय।	सरकारी ग्रान्ट रजिस्टर का मेन्टेनेन्स किया जाता है। जिसका साक्ष्य के रूप में पंजी की छाया प्रति संलग्न है।	
02	11	रू0 282820/– पी0 एल0 खाता में जमा संबंधित साक्ष्य प्रस्तुत करया जाय।	पी0एल0 खाता का संधारण कोषागार से संधारित किया जाता है। परन्तु इस आशय से संबंधित एक पासबुक कार्यालय में संधारित किया जाता है। जिसके अन्तर्गत 282820/– संधारित पासबुक में उपलब्ध है जिसकी छायाप्रति संलग्न है।	
03	12	लोन रजिस्ट्री मेनटेन करने का साक्ष्य प्रस्तुत कराया जाय।	कार्यालय में लोन रजिस्टर संधारित किया जाता है,जिसकी छायाप्रति संलग्न है।	
04	13	वर्ष 2002–2003 से 2007–2008 तक बजट को बोर्ड से पारित कराया गया था। इसके बोर्ड से पारित संबंधित साक्ष्य प्रस्तुत कराया जाय।	वर्ष 2002–2003 से 2007–2008 का बजट स्टीमेन्ट रूल के अनुसार आंशिक रूप से तैयार कर बजट बोर्ड से पारित करवाया गया था। इसकी छायाप्रति संलग्न है।	
05	16	नगर परिषद् द्वारा खतरनाक व्यापार लाईसेंस फीस विज्ञापन टैक्स आदि से सम्बन्धित माँग एवं प्राप्ति रजिस्टर उपलब्ध कराया जाय।	नगर परिषद्, मधेपुरा में इस तरह का कोई भी खतरनाक व्यापार लाईसेंस फीस विज्ञापन टैक्स आदि से सम्बन्धित माँग एवं प्राप्ति रजिस्टर संधारित नहीं किया जाता है। नियमानुकुल इस पर कारवाई करते हुए अगले अंकेक्षक दल को उपलब्ध करा दिया जाएगा।	
06	20 (i)	रू0 9200/– श्री सुनील कु0 चौधरी से वसूली योग्य राशि की वसूली का साक्ष्य प्रस्तुत करया जाय।	मो0– 9200/– श्री सुनील कु0 चौधरी से वसूल कर ली गई है। जिसका साक्ष्य की छायाप्रति संलग्न है।	
	20 (ii)	श्री सच्चिदानंद यादव से रू0–1265/– वसूली	मो0– 1265/– रू0 श्री सच्चिदानंद यादव से वसूल कर ली गई है। जिसका साक्ष्य की छाया प्रति संलग्न।	
		श्री अशोक कुमार यादव से रू0–19046.60/– वसूली	श्री अशोक कुमार यादव द्वारा 19046.60 के विरूद्ध 19100 रू0 वसूल कर ली गई है। जिसका साक्ष्य छायाप्रति संलग्न है।	
	20 (iii)	रू0 5591/– की वसूली श्री दीपक कुमार और श्री मो0 सलाम से करने एवं परिषद् कोष में जमा से संबंधित साक्ष्य प्रस्तुत कराया जाय।	श्री दीपक कुमार और मो0 सलाम से मो0 – 5591/– रू0 की वसूली कर ली गई है। उसकी छायाप्रति संलग्न है।	

08	21	रोकड़ पंजी में लेन–देन एवं आय – व्यय से संबंधित सभी बिन्दुओं का पालन ठीक से करने का साक्ष्य प्रस्तुत कराया जाय।	नियमानुकूल रोकड़ पंजी में लेन–देन एवं आय–व्यय से सम्बन्धित सभी बिन्दुओं का पालन सुचारू रूप से किया जाता है। जिसे अगले अंकेक्षण दल को दिखा दिया जायेगा।	
09	23	अवैध नियुक्ति पर की गई भुगतान रू0 176453/– से संबंधित व्यक्ति से वसूलकर नगर कोष में जमा कर उसका साक्ष्य प्रस्तुत कराया जाय।	नगर परिषद् की सामान्य बैठक 02.07.2004 के अन्तर्गत नगर परिषद् मधेपुरा में कार्यों की अधिकता एवं कर्मियों की कमी के कारण कार्यों को सुचारू रूप से चलाने हेतु श्री विश्वनाथ प्रसाद महतो जो समाहरणालय मधेपुरा से वरीय प्रधान सहायक–सह–लेखापाल से सेवानिवृत होने के पश्चात इन्हें न0 प0 के कार्यों के देखभाल करने हेतु इनकी नियुक्ति 5000/– रू0 प्रतिमाह के दर से निर्धारित की गई थी। जो उनके द्वारा योगदान की तिथि 05.07.2004 से मार्च 2008 तक इन्हें मानदेय के रूप में रू0 176453/– भुगतान किया गया जिसके अन्तर्गत माह जनवरी 2008 को अनुपस्थित रहने के कारण भुगतान नहीं किया। तथा उपस्थिति के अनुसार ही मानदेय का भुगतान किया गया। इनकी नियुक्ति विशेष कार्य पदाधिकारी के रूप में नहीं किया गया था और न ही सरकार से स्वीकृत पद पर ऐसी स्थिति में उन्हें वरीयता के आधार पर विशेष कार्य पदाधिकारी का पदनाम देकर कार्यों का निष्पादन कराया गया। ज्ञातव्य हो कि उनकी मृत्यु भी हो चुकी है। इस आशय की स्वीकृति न0वि0एवं आ0वि0 से आदेश की प्रत्याशा में की गई थी।	
10	25	दैनिक मजदुरी पर कार्यरत कर्मी को रू0 1620688/– का अनियमित भुगतान किया गया जिस पर नगर विकास एवं आवास विभाग से सहमति आवश्यक है। अतः किये गए अनियमित भुगतान का सहमति पत्र संबंधित साक्ष्य प्रस्तुत कराया जाय।	नगर परिषद् मधेपुरा में सफाई कर्मियों के कमी के कारण नगर परिषद् की सामान्य बैठक में लिये गए निर्णय पर दैनिक मजदूरी के रूप में अस्थायी रूप से नियुक्ति की गई थी जिसके अन्तर्गत रू 1620688/– दैनिक मजदूरी के रूप में भुगतान किया गया है। सामान्य बैठक में पारित प्रस्ताव के आलोक में नगर विकास एवं आवास विभाग का स्वीकृति प्राप्त नहीं की गई थी।	
11	25A	रू0 194179.32/– से संबंधित वेतन भुगतान पर्ची रोकड़ पास श्री दीपक कुमार द्वारा उपस्थापित करवाया जाय एवं इसका साक्ष्य प्रस्तुत कराया जाय।	अनुपालन की छायाप्रती संलग्न है।	

12	27	बालिका समृद्ध योजना में प्राप्त राशि रू0 39500/– जो तीन वर्षों से अधिक होने पर भी खर्च नहीं किये जाने की स्थिति में राशि सम्बन्धित प्राधिकार को वापस किया जाना है। अतः राशि वापस कर उसका साक्ष्य में प्रस्तुत कराया जाय।	इस राशि को वापस सम्बन्धित खाता में जमा कर दिया गया है। चलान की प्रति संलग्न है।	
13	28	लोहिया मार्केट निर्मित से सम्बन्धित खर्चों का अभिप्रमाणित दर मापी पुस्त एवं बची हुई राशि का साक्ष्य प्रस्तुत कराया जाय।	लोहिया मार्केट निर्माण से सम्बन्धित खर्च का अभिश्रव/मापी पुस्त एवं बची हुई राशि का साक्ष्य NRP मधेपुरा से उपलब्ध की जायेगी। क्योंकि निर्माण हेतु राशि कार्यपालक अभियंता NRP मधेपुरा को हस्तगत करा दिया गया था।	
14	32	नगर विकास विभाग द्वारा रू0 500000/– समानों पर खर्च के लिये प्राप्त करायी गई थी जिसमें 250000/– ही खर्च किया गया। बची हुई राशि रू0 250000/– संबंधित प्राधिकार को वापस कर उसका साक्ष्य प्रस्तुत कराया जाय।	सभी राशि खर्च कर दिया गया है। जिसका उपयोगिता प्रमाण–पत्र भी विभाग में जमा कर दिया गया है। (छायाप्रति संलग्न)	
15	33	नगर विकास विभाग द्वारा रू0 425000/– उपकरण सामानों की क्रय हेतु राशि दी गई थी जिसका उपयोगिता प्रमाण–पत्र विभाग को उपलब्ध नहीं कराया गया है, जबकि रू0 280832/– ही खर्च किया गया है। इससे संबंधित साक्ष्य प्रस्तुत कराया जाय।	तदैव	
16	34	ट्रेक्टर का लॉक बुक एवं पदाधिकारी का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत कराया जाय।	ट्रैक्टर का लॉग बुक नियमित रूप से संधारित की जा रही है, जो अगले अंकेक्षण दल को दिखा दिया जायेगा।	
17	39	सी0पी0 एफ पासबुक मेन्टेन सम्बन्धी साक्ष्य प्रस्तुत कराया जाय।	पासबुक की छाया प्रति संलग्न है।	
17	40	कुल दस कर्मचारी के पासबुक में नहीं दिए गए राशि से सम्बन्धित साक्ष्य प्रस्तुत कराया जाय।	सम्बन्धित कर्मी के पासबुक में राशि अंकित है। जिसकी छाया प्रति संलग्न है।	
18	41	कर्मचारियों का नियमित अंशदान से संबंधित साक्ष्य प्रस्तुत कराया जाय।	भुगतान से सम्बन्धित विपत्र का छाया प्रति संलग्न है।	
19	42	नगर परिषद् के कम्प्यूटर संचालन का रख–रखाव सक्षम पदाधिकारी द्वारा सुनिश्चित कराया जाय।	नगर परिषद् में कम्प्यूटर संचालन हेतु एक कक्ष बनाया गया है जिसमें सभी कम्प्यूटर सुरक्षित ढंग से रखा हुआ है एवं कार्यरत है।	